<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>15/06/2026</u>

<u>ईडी ने पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले में तलाशी अभियान संचालित किया</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में 13.06.2026 को कोलकाता तथा उसके आसपास के 9 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी में शामिल परिसरों में अन्य के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के विधायक एवं पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा का कार्यालय एवं आवास भी शामिल था। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, जिनमें संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण शामिल हैं, जब्त किए गए।

ईडी ने इस मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। यह उल्लेखनीय है कि ईडी ने पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न नगरपालिकाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती में की गई अनियमितताओं से संबंधित अपने निष्कर्षों पर आधारित एक स्टैटस रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य के मामले में डब्ल्यूपीए 9979/2022 में सीएएन 1/2023 के साथ सीएएन 2/2023 आवेदन दायर किया था।

पूर्व में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की ईडी जांच के दौरान वर्ष 2023 में अयन शील एवं अन्य से संबंधित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया गया था। तलाशी के दौरान अयन शील के कब्जे से कई अपराध संकेती दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए गए थे। अपराध संकेती दस्तावेजों की जांच से यह उजागर हुआ कि यह घोटाला केवल शिक्षकों की भर्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा की गई कई अन्य नियुक्तियों भी शामिल हैं [जिसमें कांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हालीशहर, दक्षिण दमदम (उत्तरी), दमदम आदि शामिल हैं], इनमें मजदूर, सफाईकर्मी, लिपिक, चपरासी, एम्बुलेंस परिचारक, सहायक मिस्त्री, पम्प ऑपरेटर, सहायक कर्मी, स्वच्छता सहायक, चालक आदि पदों पर की गई भर्तियां शामिल हैं।

अब तक की गई जांच से यह उजागर हुआ है कि विभिन्न नगर निगमों, नगरपालिकाओं आदि से संबंधित प्रश्न-पत्रों की छपाई, ओएमआर शीटों की छपाई, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्यांकन तथा मेरिट सूची तैयार करने आदि के कार्य हेतु संविदाएं एक ही कंपनी, मेसर्स एबीएस इन्फोजोन प्रा. लि. (निदेशक - अयन शील) को प्रदान की गई थीं। अयन शील तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तियों, जिनमें लोक सेवक एवं राजनीतिक नेता भी शामिल थे, ने अन्य निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। उक्त षड्यंत्र के तहत, मेसर्स एबीएस इन्फोजोन प्रा. लि. के निदेशक अयन शील ने ओएमआर शीटों की छपाई, डिजाइनिंग एवं मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी होने के कारण अपनी शक्ति एवं पद का दुरुपयोग करते हुए अभ्यर्थियों की ओएमआर शीटों में हेरफेर की तथा धन के बदले विभिन्न नगरपालिकाओं में अनेक अयोग्य अभ्यर्थियों की अवैध नियुक्तियां कराने में सुविधा प्रदान की।

ईडी ने इस मामले में पूर्व में 11.05.2026 को पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था। सुजीत बोस वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। ईडी द्वारा इस मामले में अयन शील के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।